माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2019/355 भोपाल, दिनांक 14 /02/2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 22 के अंतर्गत संचालित पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की अहर्ताओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1. पीएच.डी. में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा किसी वैधानिक नियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष घोषित कोई व्यावसायिक डिग्री) कम से कम कुल 55% अंकों के साथ अथवा UGC 7- पॉइंट स्केल में ग्रेड –B के समकक्ष (अथवा जहाँ ग्रेड सिस्टम प्रचलित हो वहां के पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ) उत्तीर्ण अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा भारत के किसी संविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा जारी समकक्ष डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य होगा । प्रवेश के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमि लेयर), दिव्यांग और मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डिग्री में 5% की छूट (55% के स्थान पर 50%) अथवा ग्रेड में समकक्ष छूट प्रदान की जायेगी ।
2. प्रवेश की पात्रता कम से कम कुल 55% अंको के साथ अथवा UGC 7- पॉइंट स्केल में ग्रेड –B के समकक्ष (अथवा जहाँ ग्रेड सिस्टम प्रचलित हो वहां के पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ)में उपरोक्त उल्लेखित वर्ग के परीक्षार्थियों को 5% की छूट तभी मिलेगी जबकि पात्रता पूर्ति के 50% अंक कृपांकों (यदि मिले हो तो)को जोड़ कर प्राप्त न किये गए हो ।
3. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के क्रमशः दोनों चरणों में से प्रत्येक चरण में 55% अंक प्राप्त करना होंगे । 5% (55% के स्थान पर 50%) की छूट अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमि लेयर), दिव्यांग और मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी ।
4. आरक्षण के सम्बन्ध में म.प्र. शासन के नियम लागू होंगे ।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2019/356 भोपाल, दिनांक 14 /02/2019

प्रतिलिपि:

1. निज सचिव कुलपति/निज सहायक कुलाधिसचिव/ कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों / परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नामांकन शाखा की ओर सूचनार्थ ।
5. निदेशक प्रवेश को सूचनार्थ।
6. आदेश पुस्तिका।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
प्रभारी कुलसचिव